ग्राम पंचायत छोगटाली, विकास खंड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश , पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/**2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि० प्र० को सोंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत छोगटाली, विकास खंड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।**

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री आशा प्रकाश	1.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री रमेश कुमार	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री यशपाल	1.04.2013 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत छोगटाली के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान राशि का उपयोग न करना	6.20
2	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	3.80
3	11	जेसीबी चार्जीस का अनियमित भुगतान करना	1.90
4	14	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.09
5	15	गृहकर की राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन	0.23

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत छोगटाली , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अमर दत्त , अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 1/7/2016 से 6/7/2016 तक ग्राम पंचायत छोगटाली के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/2014, 9/2014, 3/2016 तथा माह 1/2014, 9/2014, 10/2015 का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप ण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण /गलत होने अथवा अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति मे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत छोगटाली , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- का बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹ 5000/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जीपीऑडिट/एसएलएन/2016-17-11 दिनांक 2/7/2016 द्वारा सचिव , पंचायत छोगटाली से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, ग्राम पंचायत छोगटाली द्वारा डाक पंजीकरण संख्या RE7505395961N दिनांक 12/7/2016 द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 399476 दिनांक 12/7/2016 के अंतर्गत (हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड राजगढ़) के माध्यम से अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत छोगटाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी , जिसका विवरण परिशिष्ट-1 मे भी दिया गया है।

(क) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत छोगटाली के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्व स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-2014	-----	186506	186506	200228	(-)13722
2014-2015	(-)13722	202316	188594	208616	(-)20022
2015-2016	(-)20022	251619	231597	213758.18	17838.82

नोट:- ग्राम पंचायत छोगटाली द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि खाता संख्या 56310100006 में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से

खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका , जिस कारण वर्ष 2013-14 व 2014-15 में अंतिम शेष ऋणात्मक पाया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय का पृथक से खाता खोलकर खाता "A" में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व् व्यय का पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत छोगटाली के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	392947.85	3486531	3879478.85	3305248	574230.85
2014-15	574230.85	2878835	3453065.85	3043965	409100.85
2015-16	409100.85	1049979	1459079.85	838598	620481.85

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

जांच मे पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमो के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 मे पंचायत की आय-व्यय का प्राक्लन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्लन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्लनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 अनुदान की ₹6.20 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31/03/2016 तक अनुदानों से प्राप्त ₹6,20,481.85 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि

को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.80 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है , जिसके अनुसार ₹1000/- से अधिक के व ₹50,000/- से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000/- से अधिक के क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है , ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त होकर , न्यूनतम बाजारी मूल्यों पर एच्छिक वस्तुओं कि प्राप्ति हो सके , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा न तो नियमानुसार कोटेशने ही प्राप्त कि गई और न ही किसी क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए गए इसके अतिरिक्त नियम 3(ए) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान , उप प्रधान , ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा कोटेशने/टेंडर आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के क्रय हेतु न तो उप समिति का गठन किया गया और न ही कोई कोटेशने/टेंडर प्राप्त किए जो कि उक्त नियमो के अनुसार न होने के कारण उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत द्वारा ₹3,80,021 के स्टॉक स्टोर का क्रय उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है , जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 मे दिया गया है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 **रसीद बुकों को स्टॉक स्टोर रजिस्टर मे दर्ज न करना**

रसीद बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को जारी की गई किसी भी रसीद बुक पर पंचायत वित्त नियम 2002 के नियम 13(4) व 13(5) मे वांछित प्रमाण पत्र ज़िला पंचायत अधिकारी तथा सम्बन्धित सचिव द्वारा नहीं दिया गया है , जिसकी अनुपस्थिति मे रसीद बुकों के दुर्विनियोजन की पूर्ण संभावना बनी रहती है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा न तो उपरोक्त रसीद बुकों और न ही पूर्व मे प्राप्त की गई रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्टि की गई है, जोकि नियमानुसार किसी प्रकार से उचित नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई अम्ल मे लाते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 कार्य का पूर्ण विवरण दिये बिना ही ₹3390 का भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा श्री इश्वर दास, गाँव छोगटाली को ग्राम सभा की बैठक में जलपान करवाने हेतु रु 1350/- का भुगतान (सामान्य निधि से) दिनांक 5/1/2014 को नकद रूप में किया गया है, जिसके एवज में उनके द्वारा एक सादे कागज पर रसीद ग्राम पंचायत को दी गई है, परन्तु रसीद मे न तो जलपान हेतु प्रदान की गई किसी मद व सामग्री की मात्रा दी गई है और न ही जलपान में दी गई मदों का कोई विवरण दिया गया है। इसी प्रकार श्री नारायण दत्त,मिस्त्री को भी दिनांक 2/1/2014 को रु 2040/- का भुगतान (मनरेगा से) झांगन गाँव में खुरली के निर्माण हेतु 10 दिन कार्य करने की एवज में दिया गया है जिस के एवज में उनके द्वारा एक सादे कागज पर रसीद ग्राम पंचायत को दी गई है, परंतु रसीद मे कार्य अवधि के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, कि उनके द्वारा किस तिथि से किस तिथि तक कार्य किया गया है और न ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रसीद को किसी सक्षम अधिकारी व कनिष्ट अभियंता द्वारा सत्यापित किया गया है। अतः उक्त ₹3390 का भुगतान तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान मात्र चैक से ही किए जाने का प्रावधान है , जिसकी अनुपालना न करके ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान नकद रूप से किया गया है। अतः भविष्य मे इस प्रकार की रसीदों के आधार पर भुगतान न करके उचित बिल के आधार पर ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 जेसीबी चार्जीस की ₹1.90 लाख का अनियमित भुगतान करना

(क) ग्राम पंचायत छोगटाली के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जे 0सी0बी0 को ₹800 प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर निम्न विवरणानुसार ₹1,90,000 का भुगतान बिना कोटेशन/टेंडर प्राप्त किये ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अंतर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान करने के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है। इस प्रकार जे0सी0बी0 को प्रति घंटे के आधार पर किराए पर लगाने से पूर्व नियम 67(3) के अंतर्गत समिति का गठन व नियम 67(5) के अंतर्गत निर्धारित विधि के अंतर्गत टेंडर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य था, जिसकी अनुपालना किये बिना ही जे0सी0बी0 को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त जे0सी0बी0 से करवाए गए कार्य की न तो कनिष्ट अभियंता द्वारा माप पुस्तिका में और न ही किसी अन्य पंजिका में प्रविष्टि की गई है, जिसकी अनुपस्थिति में जे0सी0बी0 चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है , जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के भुगतान को कनिष्ट अभियंता से सत्यापित करवाकर एक माप पुस्तिका में प्रविष्ट करवाकर तथा माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या का विवरण सम्बंधित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त के अतिरिक्त निम्न वर्णित बिलों/भुगतानों की सम्बंधित माप पुस्तिका व अन्य पंजिकाओ में प्रविष्टि करके अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	विवरण	बिल संख्या /दिनांक	दर प्रति घंटा	कार्य के घंटे	कुल भुगतान	निधि का नाम
1	जे सी बी चर्जिस का भुगतान श्री सदा नन्द पुंडीर,ग्राम बामु, डाकघर दाहन	0242 8/01/14	800/-	75.00	60,000/-	सामान्य निधि
2	---यथोपरी--	017 29/10/15	800/-	100	80,000/-	सामान्य निधि
3	---यथोपरी--	0241 4/01/14	800 /-	62.5	50,000/-	बी आर जी एफ
			कुल राशि		₹1, 190000	

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त श्री सदा नन्द पुंडीर ठेकेदार को जेसीबी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौती नहीं की गई है , जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदार से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांछित थी।

a) आयकर 2%
b) सेल्स टैक्स 3%
c) प्रतिभूति राशि 10%
d) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 पंचायत घर के white wash पर ₹ 7980 का व्यर्थ/अत्यधिक व्यय

ग्राम पंचायत छोगटाली द्वारा माह सिप्तम्बर 2014 में मैo बलबीर आर्ट सर्विस दीदग को पंचायत घर के white wash हेतु उनके बिल संख्या 416,417 व 418 दिनांक 3/9/2014 के संदर्भ में ₹9000 का भुगतान किया गया , जिनमे से ₹3000 का भुगतान white wash की सामग्री व शेष रु6000 का भुगतान white wash की मजदूरी हेतु किया गया है। माह 3/2016 के व्यय बिलों की जांच के दौरान पाया गया की मात्र ढेड़ वर्ष (18 महीने) के उपरान्त ही पंचायत घर की पुनः white

wash करवा दी गई जिस हेतु मैo बलबीर आर्ट सर्विस दीदग को white wash हेतु ₹ 7980 की अदायगी की गई है , जिसके लिए सामान हेतु बिल संख्या 409 दिनांक 30/3/2016 के अंतर्गत ₹4500 तथा मजदूरी हेतु बिल संख्या 408 दिनांक 30/3/2016 के अंतर्गत ₹3480 का भुगतान किया गया। अतः मात्र ढेड़ वर्ष के उपरान्त ही पंचायत घर के white wash पर रु7980 का खर्च तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

13 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता दर्शाना

ग्राम पंचायत छोगटाली को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त की गई है । ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दिनांक 2/10/2014 को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव संख्या 33 के अंतर्गत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि गृहकर के रूप में प्रति राशन कार्ड धारक से प्रति वर्ष ₹20 की दर से गृहकर वसूला जायेगा, जबकि इससे पूर्व प्रति राशन कार्ड धारक से गृहकर की दर ₹50 प्रतिवर्ष, विवाह दान ₹50 प्रति विवाह तथा परिवार नक़ल, जन्म पंजीकरण, विवाह पंजीकरण इत्यादि ₹10 प्रति प्रविष्टि की दर से वसूल किया जा रहा था, परन्तु इन मदों से प्राप्त आय की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और न ही अंकेक्षण के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों को निर्धारित दरों के अनुरूप एकत्रित नहीं किया गया है । अतः गृहकर की दर प्रति राशन कार्ड धारक को ₹50 से ₹20 प्रतिवर्ष प्रति राशन कार्ड किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा पंचायत को प्राप्त होने वाली आय से सम्बंधित मांग एवम प्राप्ति रजिस्टर तैयार करके अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 गृहकर के रूप में ₹8,760 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय में मात्र गृह कर ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे ग्राम पंचायत को नियमित रूप से सबसे अधिक आय प्राप्त हो सकती है , परन्तु ग्राम पंचायत निर्धारित दरों से गृह कर की वसूली के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है । ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 2/10/2014 को प्रस्ताव संख्या 33 के अंतर्गत गृहकर के रूप में प्रति राशन कार्ड प्रति वर्ष ₹20 की दर से गृहकर वसूली की दर निर्धारित की गई जो की वर्ष 2014-15,2015-16 से लागू थी जबकि इससे पूर्व गृहकर की दर ```₹50 प्रतिवर्ष प्रति राशन कार्ड थी । पंचायत सचिव द्वारा आडिट मेमो नम्बर 5 दिनांक 2/07/2016 के प्रत्युत्तर दिनांक 4/07/2016 में वर्ष 2013-2014 में ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या 292 दर्शाई गई है(प्रतिलिपि संलग्न) जिसके अनुसार वर्ष 2013-2014 में गृहकर की पूर्वनिर्धारित दर ₹50 के अनुसार गृहकर से ₹14,600/- की आय प्राप्त होनी वांछित थी जबकि ग्राम पंचायत द्वारा मात्र ₹5840 की ही वसूली

(292x20) की गई है। इस प्रकार (292x30=₹8760) की वसूली शेष है, जिसकी वसूली हेतु उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 गृहकर की ₹.23 लाख का अस्थाई दुर्विनियोजन

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा माह 2/2016 व 3/2016 में दिनांक 7/3/2016 तक रसीद संख्या 4/001 से 4/083 के अंतर्गत ₹22980 एकत्रित की गई परन्तु सचिव द्वारा एकत्रित की गई राशि में से ₹15000 को ही दिनांक 30/03/2016 को सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाया गया है तथा शेष ₹7980 को बैंक में जमा करवाए बिना ही ग्राम पंचायत घर की लिपाई हेतु सामान के क्रय व मजदूरी भुगतान हेतु उपयोग में लाया गया है , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 6(3) के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली समस्त आय को पंचायत के सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है । अतः यह स्पष्ट किया जाये कि माह 2/2016 से 3/2016 (दिनांक 7/3/2016) तक एकत्रित की गई राशि को उसी दिन या अगले दिन ही बैंक खाते में जमा क्यों नहीं किया गया तथा किन नियमों के तहत गृहकर की ₹7980 की गृहकर की आय को बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही इसमे से सामग्री के क्रय व मजदूरी भुगतान हेतु व्यय किया गया है । इसी प्रकार पंचायत सचिव द्वारा रसीद संख्या 1901/31 से 1901/60 के अंतर्गत अवधि 4/2013 में ₹300 एकत्रित की गई परन्तु इस एकत्रित राशि को न तो लगभग एक वर्ष तक रोकड बही में दर्ज किया गया और न ही बैंक खाते में जमा करवाया गया है अर्थात इस राशि को दिनांक 31/03/14 को रोकड़ बही में लिया गया है जिससे ₹23,280 का संभावित अस्थाई दुर्विनियोजन प्रतीत होता है, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

16 रसीद बुकों के उपयोग बारे

पंचायत सचिव द्वारा एक साथ ही दो- दो रसीद बुको अर्थात रसीद संख्या 2182 व 1901 को उपयोग में लाया गया है , जबकि नियमानुसार एक रसीद बुक के समाप्त होने के उपरांत ही दूसरी रसीद बुक को उपयोग में लाया जाना चाहिए । अतः भविष्य में एक समय में मात्र एक ही रसीद बुक उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान करने बारे

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, पशुचिकित्सक सहायक, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका व पानी आपूर्ति सहायक आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि से किया गया है , परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था, जिस कारण मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी

है। अतः मानदेय के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत अंकेक्षण में उपलब्ध करवानी सुनिश्चित की जाये।

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

i अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
ii रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
iii चैक जारी करने का रजिस्टर
iv चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
V आकस्मिक व्यय रजिस्टर
Vi चैक प्राप्ति रजिस्टर
Vii अग्रिमों का रजिस्टर
Viii रसीद बुकों का रजिस्टर
ix प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर

19 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

20 अन्य विविध अनियमितताएं

(क) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है , जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय राशि को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर को ग्राम सभा द्वारा उस सम्बंधित व्यय पारित किये जाने बारे प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे भुगतान मे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गयी है।

22 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(10)4/2016–खण्ड–1–5341–5344 दिनाँकः 06.10.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत छोगटाली, विकास खण्ड राजगढ, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.